ायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

ाठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस

ाजस्व विविध प्रकरण संख्या 26/2021 :GCMS No 2021/171

दायरा तिथि : 12.08.2021

आदेश तिथि : 19-07-2022

प्रार्थीगण :–

1. लालाराम पुत्र श्री गपिया
2. गवरी पत्नी गपिया जातिगण कीर
   निवासीगण दुदनी तहसील बाली जिला पाली (राज0)

ब ना म

अप्रार्थी :–

लादूसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपूत
निवासी दुदनी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 19-07-2022

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम दुदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का, दुदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 241, 258 रकबा क्रमश 1.10 हैक्टर, 0.61 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से निजी खातेदार लादूसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपूत की खातेदारी भूमि दुदनी(बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 260 रकबा 0.95 हैक्टर मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित ट्रैक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जाच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/1919 दिनांक 28.06.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

1.यह है कि ग्राम दुदनी(बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 241, 258 रकबा क्रमश 1.10 हैक्टर, 0.61 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि श्री लालाराम पुत्र गपीया हि. 1/12 जाति कीर निवासी दूदनी वगैरा के नाम से संयुक्त खातेदारी दर्ज है। खातेदार की धारित संयुक्त खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही है। वर्तमान में रास्ता अवरूद्ध है।

2. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर मे	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	260	0.95 हैक्टर	जा.सो.	60X4.5=270 वर्गमीटर	लादूसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी दुदनी

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) की डी.एल.सी. दर 300605/–रूपये प्रति हैक्टर है।

4. यह है कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं एवं न ही अन्य कोई क्षति होगी।

प्रकरण में वर्णित अप्रार्थी लादूसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपूत के अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह सोलंकी ने आपत्ति प्रस्तुत की कि प्रार्थीगण के परिवार की खातेदारी भूमि जिसके खसरा नंबर 257 है जिसमें से प्रार्थीगण कदीमी कई वर्षों से इसी कृषि भूमि में स्थित रास्ता से आवागमन करते है जिससे नया रास्ता मांग करना गलत है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को बेवजह तंग परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 251ए खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने से वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई। उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण में वकील अप्रार्थी द्वारा इस आशय की आपत्ति की गई है कि खसरा नंबर 257 की भूमि प्रार्थीगण परिवार की भूमि है परंतु आपत्ति के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य खसरा नंबर 257 की जमाबंदी की प्रति में दर्ज खातेदारान के इन्द्राज के अवलोकन से इस आपत्ति की पुष्टि नहीं हो पायी है। खसरा नंबर 257 के खातेदार कीर जाति के जरूर है परंतु प्रार्थीगण परिवार के ही सदस्य है। इस तथ्य की पुष्टि नही होती है।

पेज लगातार.........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 26/2021 :GCMS No 2021/171

अनवान लालाराम वगैरा बनाम लादूसिंह

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

जिससे अधिवक्ता अप्रार्थी की यह आपत्ति मानने योग्य नहीं है कि खसरा नंबर 257 की भूमि प्रार्थीगण परिवार की है। इसके साथ ही तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट में भी यह उल्लेखित किया है कि आवेदित और प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी के खसरा नंबर 241 व 258 तक पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है। जिससे अप्रार्थी पक्ष की आपत्ति निराधार होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध करवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे ग्राम दुदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का, दुदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 241, 258 रकबा क्रमशः 1.10 हैक्टर, 0.61 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी लादूसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपूत की खातेदारी भूमि दुदनी(बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 260 रकबा 0.95 हैक्टर मेंसे 270 वर्गमीटर तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांकः 2022/1919 दिनांक 28.06.2022 के संलग्न मौका नक्शा में वर्णित ट्रैक सें तहसीलदार, बाली एवं निरीक्षक भू0अ0 बेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नया मार्ग **रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत निजी खातेदारो एवं राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता करावे। प्रतिकर राशि निम्नानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 300605/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
260	0.95 हैक्टर	60X4.5=270 वर्गमीटर	30.06	8116X2=16232	लादूसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी दुदनी

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **16232/– (अक्षरे सोलह हजार दो सौ बत्तीस रूपये मात्र**) आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थी को अदा की जायेगी। अप्रार्थी द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में अप्रार्थी को देय प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 बेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमांक/कोर्ट(रास्ता)/2022/3077-81 दिनांक 20-07-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दुदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय ,बाली
5. आवेदक लालाराम पुत्र श्री गपिया जाति कीर निवासी दुदनी वगैरा को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner